

अंचल कार्यालय, महागामा

केस का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 45/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र 90 कास्वी वो अंचल निरीक्षक श्री गोविन्द दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा सपुरा थाना नं० 892 गैरमजरूआ खाता नं० 24/23 दाग नं० 32 रकवा 00-15-01 किस्म: पत्त/काँच श्री मोहन राय भावाडी) पिता: डारिका 40 भावाडी) ... साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मोहन राय भावाडी) को दिनांक समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। नोबिडा राय/पी मोहम्मद वेहा अनुस्केव द्वारा नोबिडा में पंजिकेला किया है कि मोहन राय भावाडी पिता डारिका 40 भावाडी का कोई पंजीवाही सत्य नहीं रही है।

2/6/18 अभिलेख उपस्थापित।

sandha

उक्त नोटिश निर्गत करें।


अध्यापक अधिकारी,
महागामा।

17/6/17

अभिलेख-उपस्थापित ।
मौखिक विना तामिसा का वापस

31/7/2020


अभिलेख उपस्थापित ।
मौखिक निर्गह करें ।



अंशक 21/7/2020
महागामा

10/11/2020

अभिलेख-उपस्थापित ।
राजस्य उपनिरीक्षण-खट्ट-प्रभादी-अंयलनिरीक्षण
महागामा से प्रखण्ड खनि का मौखिक प्रत्येक
के साथ अभिलेखीय प्रत्येक प्राप्त हुआ है ।
जिलका मुखलोकन क्रिया । प्रत्येक खनि
अवेद्य लक्षणाएक पंजी-11 खनि का खनि-
खण्ड पठाधिकारी से प्राप्त है । वर्तमान में
उप-भूमि ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र
अंगत है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापति ।

अंशक
महागामा


अंयल अधिकारी-
महागामा ।

सेवा में,

श्रीगान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ...4.5.../2016-17 मोहनराम मारवाड़ी
पिता-शारिका प्र. मारवाड़ी का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या4.5.../2016-17 मोहनराम मारवाड़ी पिता-शारिका प्र. मारवाड़ी का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/2.3. के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा 50-15-01 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के R.A केश नं0-148 के माध्यम से मोहनराम मारवाड़ी पिता-शारिका प्र. मारवाड़ी को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

10-12-22
24
G